

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री ईश्वरसिंह पुत्र छतरसिंह उदावत,
निवासी लौटोली, तहसील जैतारण जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 110/2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/09/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश हो।</p>	<p>15/10-18 25/10/19</p>
10/10/19	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण के सम्बन्धित लिपिक से मेरवरेला कोत कना पर उन्हेने पालना प्रत्युत्तर प्रेषित करके हेतु समय चाहा है। इसी जाकर पत्रावली दिनांक 25/10/19 को पेश हो।</p>	
25/10/19	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील प/स 19(1) RTI अधिनियम के तहत अन्तर्गत का वांछित सूचना उपलब्ध करके हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार को निर्देशित करके हेतु निर्देश दिया गया है।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा पत्र लिखा जाते पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) ने जारी पत्रावली नारायण कोर्ट/2019/410 दि. 10-10-19 के लिखा गया कि अपील द्वारा वांछित सूचना अपीलाण्ट को अनेक पत्रावली नारायण कोर्ट/2019/413 दिनांक 4-8-2019 को उपलब्ध करा दी गई है।</p> <p>अपील को वांछित सूचना उपलब्ध कर दिए जाते से इस अपील के संदर्भ के किसी प्रकार की कार्यवाही कोपेक्षित नहीं रह जाती है इस वजह से अपील अपीलाण्ट द्वारा भी जाती है।</p> <p>पत्रावली सुमाट फिसल की जाकर नम्बर से कना है।</p>	

जिला कलेक्टर, पाली